जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन–12/2011/डी–2353 दिनांक: 11-4-11

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 161वीं बैठक दिनांक 11.03.2011 में लिये गये निर्णय का विवरण

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	161.1	कार्यकारी समिति की 160वीं बैठक दिनांक 11.02.11 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 160वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।		
2	161.2	भूखण्ड संख्या 488, सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना के नियमितिकरण बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या 488, सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना का नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–14	
3	161.3	भूखण्ड संख्या 42, सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना के नियमितिकरण बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या 42, सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना का नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–14	
4	161.4	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जी–220 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जी–220 के नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–13	
5	161.5	श्री योगेश कुमार दीक्षित, कनिष्ठ सहायक द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित हॉस्पिटल में कराई गई एम.आर.आई. जांच पर व्यय की पुर्नभरण की स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री योगेश कुमार दीक्षित, कनिष्ठ सहायक द्वारा प्राधिकरण से गैर अनुमोदित हॉस्पिटल में कराई गई एम.आर.आई. जांच पर व्यय की गई राशि की सवाई मानसिंह अस्पताल के समकक्ष पुर्नभरण की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
6	161.6	श्री लालचन्द कुमावत, निजी सहायक की पत्नि श्रीमती लक्ष्मी कुमावत का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित हॉस्पिटल में कराये गये ईलाज पर व्यय की पुर्नभरण की स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री लालचन्द कुमावत, निजी सहायक की पत्नि श्रीमती लक्ष्मी कुमावत का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित हॉस्पिटल में कराये गये ईलाज पर व्यय की गई राशि की सवाई मानसिंह अस्पताल के समकक्ष पुर्नभरण की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
7	161.7	प्रवर्तन निरीक्षक के 02 नवीन पद सृजित करने बाबत्।	प्रवर्तन निरीक्षक के 2 नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता के औचित्य को प्रतिपादित करे। कितने निरीक्षक विभागीय स्तर पर तथा पुलिस विभाग के कार्यरत है।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
8	161.8	निविदा स्वीकृत कमेटी में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के स्थान पर अधीक्षण अभियंता (सम्बन्धित) को शक्तियां देने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अधिशाषी अभियन्ता (टीए सैल) जविप्रा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की उपलब्धि तक ही इस व्यवस्था को कायम रखा जाए।	अधिशाषी अभियंता (टीए सैल)	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)					
9	161.9	(1) अजमेर–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से 2 किलोमीटर दूर स्थित नटाटा आवासीय योजना सृजित की जानी प्रस्तावित हैं। जिसमें ग्राम अजबगढ़ उर्फ हाडीकाबास, तहसील जमवारामगढ के कुल किता 47 कुल रकबा 277.07 बीघा तथा ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ के कुल किता 26 कुल रकबा 81.19 बीघा भूमि निजी खातेदारों की आती हैं। दोनों ग्रामों की कुल निजी खातेदारी की भूमि 359.06 बीघा एवं 195 बीघा भूमि जविप्रा के स्वामित्व की हैं। कुल 554.06 बीघा भूमि में आवासीय योजना प्रस्तावित हैं। इस योजना हेतु दोनों ग्रामों की निजी खातेदारी की 359.06 बीघा तथा इस योजना में सड़क निर्माण हेतु ग्राम–कूकस, तहसील–आमेर के कुल किता 28 रकबा 1.03 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की जाने हेतु प्रस्तावित हैं। इस भूमि को अवाप्त करने की ई.सी. की बैठक 132:43 दिनांक 29.08.2008 को कार्योतर स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी। उक्त भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव राज्य सरकार को पत्रांक 6438 दिनांक 28.08.2008 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 (1) की अधिसूचना जारी करने हेतु भेजा गया था। राज्य सरकार से पत्र दिनांक 09.09.2008 द्वारा अवाप्ति प्रस्ताव आपत्ति अभ्यावेदनों के साथ वापस लौटा दिये थे एवं निर्देशित किया गया कि आपत्तियों के संदर्भ में प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर भिजवावें। राज्य सरकार को पुनः पत्रांक 2752 दिनांक 17.06.2009 के द्वारा प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिनियम धारा 4(1) की अधिसूचना जारी करने हेतु पुनः भिजवाया गया। राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 13.07.09 के द्वारा पुनः प्राप्त अभ्यावेदनों के साथ लौटा दिया गया जिसका पुनः परीक्षण कर राज्य सरकार को वापस नहीं भिजवाये गये हैं। आपत्तियों पर जोन स्तर से टिप्पणी कर वास्ते निर्णयार्थ ई.सी. की बैठक हेतु प्रस्तुत हैं। (2) जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम–अजबगढ़ उर्फ हाडीकाबास, तहसील–जमवारामगढ़ के खसरा नम्बर 1 से 12, 12/87, 13 से 16, 17/1मिन, 17/2मिन, 17/3मि, 17/4मिन, 17/5मिन, 17/1, 18 से 26, 26/90, 27 से 37, 38मिन, 38/1, 39, 40 व 17/88 कुल किता 49 कुल रकबा 343 बीघा 11 बिस्वा एवं ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नम्बर 162, 163, 164/1, 164/2, 165 से 172, 174 से 178, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/861, 179/863, 181, 182 व 399 कुल किता 27 कुल रकबा 208 बीघा 08 बिस्वा इस प्रकार दोनों के कुल किता 76 कुल रकबा 551 बीघा 19 बिस्वा भूमि का भू–उपयोग इकोलोजिकल एवं औद्योगिक से आवासीय, वाणिज्यिक एवं अन्य नगरीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर तर्कसंगत रूप से (With full Justification) आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे एवं इस योजना पर लिए गए निर्णय के अनुरूप आगामी बैठक में विचार करते समय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया जाए।	उपायुक्त जोन–13	
10	161.10	Calculation of prorate progress after copmpletion of the work in stead of apan wise calculation in implementation of BRTS project.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी.आर.टी.एस. परियोजना के पैकेज IIए एवं पैकेट IIबी के अनुबन्ध के अन्तर्गत पैकेज IIIए के कार्य भी सम्पादित किए जा रहे है एजेण्डा में वर्णित वस्तुस्थिति एवं तथ्यों के मध्यनजर इन कार्यो के लिए अनुबन्ध की धारा (43) के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की गणना अन्तरिम बिलों में नही की जाकर, कार्य समाप्ति पर प्रकरण के गुणावदोष के अनुसार करने का अनुमोदन किया गया।	Exe. Eng. (Pro.-I)	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
11	161.11	अभियांत्रिकी शाखा के पदो के संबंध में नगरीय विकास विभाग को लिखे गये पत्र दिनांक 04.03.11 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत्।	कार्योत्तर स्वीकृति दी गई व पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.डी., सिंचाई विभाग व अन्य समकक्ष विभागों के अनुरूप अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता का निर्धारण 1:4:16 के अनुपात में करने हेतु राज्य सरकार को लिखे जाने का निर्णय लिया गया एवं इस संबंध में यह ध्यान रखा जाए कि अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अभियन्ता नगरीय विकास विभाग की पूर्वानुमति से ही पदस्थापित किए जाऐंगें। सीधे प्राधिकरण स्तर से नही।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
12	161.12	प्राधिकरण हेतु 3 नये वाहन कय करने बाबत्।	प्राधिकरण में तीन नए वाहन कय कर संघारित करने के स्थान पर मितव्ययता की दृष्टि से क्या ठेके पद्धति से किराए पर लेना सम्भवतया प्राधिकरण के आर्थिक हित में नही होगा? कृपया अपने स्तर पर तद्नुसार विचार करे।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
13	161.13	Change in condition of Tender Document /Bid Document for road works and change in defect liability period for works in JDA.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मती से सडकों के नवीनीकरण और सुदृढीकरण कार्य के लिये निविदा प्रपत्र की शर्तो में आंशिक परिवर्तन की सहमति हुई। इसके तहत बेहतर गुणवत्ता के विटोमिन मिक्स मेटेरियल की आपूर्ति सम्भव हो सके, इसके लिये संवेदक का स्वंय का बैच मिक्सड प्लान्ट होने की अनिवार्यता की गई है। यदि निविदा में बी.एस.आर. दरों से बहुत कम दरें प्राप्त होती है तो अन्तर राशि की बैंक गारन्टी सवेदक से ली जावेगी। इसके अतिरिक्त शहरी सडकों पर विभिन्न सर्विसेज के चलते लगातार मरम्मत/देखभाल की जरूरत रहती है, इसलिए निविदा प्रपत्र में डिफेक्ट लाइबिल्टी अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।	Exe. Eng. & TA	

सदस्य सचिव
कार्यकारी समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 161वीं बैठक दिनांक 11.03.11 को दोपहर 12.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांश पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :–

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांश पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री डॉ. लोकनाथ सोनी	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एम.पी. स्वामी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री राजेन्द्र सिघंल	राजस्व अधिकारी	जयपुर नगर निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
7	श्रीमती शुचि शर्मा	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
8	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
9	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन–12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
10	श्री नरेन्द्र सिंह	उपायुक्त जोन–13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री नरेश सिंह तवंर	तहसीलदार जोन–14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री स्मिता सरीन	उप निदेशक (प्रोजेक्ट एवं ऑडिट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन–12/2011/डी–2354

दिनांकः 11-5-11

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः–

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन............	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन–सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर